जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

बीकानेर

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

बीकानेर, मंगलवार 23 दिसम्बर, 2025

मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में कांग्रेस का पैदल मार्च, प्रदर्शन

बीकानेर, (कासं)। महात्मा गांधी के नाम पर चल रही गरीब मजदूरों के उत्थान और रोजगार योजना मनरेगा का नाम बदलने और नई योजना के तहत आगामी दिनों में इस योजना को बंद करने के विरोध स्वरूप आज बीकानेर शहर और देहात जिला कांग्रेस कमेटी ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार गांधी पार्क से जिला कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च कर विरोध दर्ज करवाया

बीकानेर शहर कांग्रेस जिलाध्यक्ष मदनगोपाल मेघवाल ने कहा कि मनरेगा का नाम बदलने और इस योजना को बंद करने का जो कुत्सित मंसूबा केन्द्र और राज्य की भाजपा सरकारों ने अपनाया है। उसको किसी भी हाल में सफल नहीं होने देंगे। मेघवाल ने कहा कि भाजपा हमेशा जनविरोधी निर्णय करती रही है और हर बार गरीबों के हितों पर चाबुक चलाने का कार्य किया है। जिसका बीकानेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी हरसंभव विरोध दर्ज करते हुए इसको रोकने का प्रयास करेगी। इसके लिए कांग्रेस को सड़कों पर जनांदोलन करना पड़ा तो पीछे नहीं हटेंगे। बीकानेर देहात कांग्रेस जिलाध्यक्ष बिशनाराम सियाग ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही गांव गरीब और किसान विरोधी योजनाओं को लाने का प्रयास करती रही है। लेकिन कांग्रेस ने हर समय इन गलत नीतियों का जोरदार विरोध दर्ज करवाते हुए घुटने टेकने पर मजबूर किया है।

किसान विरोधी काले कानून इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। सियाग ने कहा कि मनरेगा की आड में भाजपा फिर से गांव के गरीबों के हितों पर कुठाराघात कर रही है जिसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। कांग्रेस हर कीमत चुका कर इस बिल को पुनः लेने पर मजबूर करेगी। भाजपा को और एक बार फिर मुंह की खानी पड़ेगी। कांग्रेस हमेशा गांव गरीब और किसान के साथ मजबूती से खड़ी रही है। इस पिछड़े वर्ग का कल्याण करना कांग्रेस पार्टी का मुख्य उद्देश्य रहा है। इसके विरोध का कोई भी कार्य कांग्रेस नहीं होने देगी। भाजपा सरकार समय रहते इस बिल को वापस ले लें अन्यथा कांग्रेस जनांदोलन के माध्यम से सरकार को घेरने में पीछे नहीं हटेगी।

> ■ पूर्व मंत्री गोविंदराम मेघवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से भारतीय इतिहास और महापुरूषों के नाम से छेड़छाड़ करती आई है

पूर्व मंत्री गोविंदराम मेघवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से भारतीय इतिहास और महापुरूषों के नाम से छेड़छाड़ करती आई है। इनका खुद का कोई काम गिनाने लायक नहीं है तो नाम बदलकर योजनाओं को अपने नाम कर रहे हैं। पीसीसी सदस्य एवं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी यशपाल गहलोत ने कहा कि भाजपा हर बार की तरह इस बार भी गरीबों के हितों को कुचलना चाहती है। लूणकरनासर से प्रत्याशी डॉ. राजेंद्र मुंड ने कहा कि कांग्रेस किसी भी सूरत में आमजन के हितों पर कुठाराघात सहन नहीं करेगी।

25 साल बाद मिलेंगे देश विदेश के डॉक्टर

बीकानेर, (कासं)। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, बीकानेर के 37वें बैच मीट का भव्य एवं ऐतिहासिक आयोजन किया जा रहा है। यह वही बैच है जिसने वर्ष 1995 में एमबीबीएस में प्रवेश लिया था तथा वर्ष 2000 में अपनी ग्रेजुएशन पूर्ण की थी। आज 25 वर्षों के लम्बे अंतराल के बाद इस बैच के सभी साथीगण पुनः एकजुट होकर बीकानेर में मिलन करने जा रहे हैं।

इस ऐतिहासिक बैच मीट में कुल 84 साथीगण भाग ले रहे हैं, जिनमें से कई साथी अमेरिका, कनाडा सहित विभिन्न देशों से बीकानेर पधार रहे हैं। इस बैच के सभी सदस्यों ने देश-विदेश में चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज का नाम गौरवान्वित किया है। बैच के प्रमुख उपलब्धि प्राप्त चिकित्सकों में डॉ. नरेन्द्र झाझरिया का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

सेना भर्ती तैयारियों को लेकर बैठक

बीकानेर, (कासं)। जिले में अगले महीने 29 जनवरी से 18 फरवरी तक सेना भर्ती (वर्ष 2025-26) का आयोजन किया जायेगा। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के खेल मैदान पर होने वाली इस भर्ती की तैयारियों को लेकर नगर निगम कमिश्नर मयंक मनीष की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में निगम कमिश्नर ने स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में सेना भर्ती दौड़ के लिए ट्रैक तैयार करने, प्रतिभागियों के लिए पानी, भोजन, मेडिकल की व्यवस्था करने, टैंट, बिजली, बैरिकेडिंग इत्यादि व्यवस्थाओं, मयंक ने सेना भर्ती को लेकर आ रही टीम के ठहरने के लिए किसान घर में ही व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश विश्वविद्यालय से आए प्रतिनिधि को दिए। निगम कमिश्नर ने मंगलवार को दोपहर 2.30 बजे सभी संबंधित अधिकारियों को स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय खेल मैदान की ज्वाइंट विजिट करने और व्यवस्थाएं समय रहते चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। बैठक में इससे पहले पांच जिलों बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू और झुंझुनूं में सेना भर्ती के इंचार्ज कर्नल अंकुर कुमार ने बताया कि सेना भर्ती को लेकर जिला प्रशासन से किस प्रकार के सहयोग की जरूरत है। इसको लेकर उन्होंने पीपीटी के जरिए प्रजेंटेशन दिया। साथ ही बताया कि राजस्थान में ये पांचवी सेना भर्ती है। इससे पहले इसी साल जोधपुर, कोटा, अलवर और सीकर में सेना भर्ती का आयोजन किया जा चुका है। कर्नल अंकुर कुमार ने बताया कि अगर दौड़ के लिए ट्रैक अच्छा बनेगा तो राज्य के विद्यार्थियों को ही इसका फायदा मिलेगा। लिहाजा दौड के लिए ट्रैक अच्छे से तैयार कर दें। साथ ही कहा कि भर्ती के दौरान मैदान में किसी बाहरी व्यक्ति का अनाधिकृत रूप से प्रवेश ना हो।

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमांक :- नियमन/2025 Rajkaj Ref No. . दिनांक :- 17.12.2025

सार्वजनिक आपत्ति सूचना

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 6 जैड मुरब्बा नं. 19/10 के किला नं. 14 में भूखण्ड संख्या का माप 12'-6'' गुणा 40'-0'' फीट के नियमन/पटटा हेतु आवेदक श्री शलेन्द्र कुमार पुत्र श्री चेतन दास निवासी 90 थर्ड ब्लॉक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों / रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदकै श्री शलेन्द्र कुमार पुत्र श्री चेतन दास निवासी 90 थर्ड ब्लॉक, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 6 जैड मुरब्बा नं. 20 के किला नं. 14 में भूखण्ड संख्या का माप 12'-6'' गुणा 40'-0'' फीट का नियमन / पटटा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन / पटटा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पटटा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। - **सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर**

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमांक :- नियमन/2025 Rajkaj Ref No. 5002 दिनांक :- 16.12.2025

सार्वजनिक आपत्ति सूचना

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 6 जैड ए मुरब्बा नं. 9 के किला नं. 10 में भूखण्ड संख्या का माप 20'-0'' गुणा 40'-0'' फीट के नियमन / पटटा हेतु आवेदक श्री अशोक कुमार डावरा पुत्र श्री मेहर चन्द निवासी मकान 60-61 ढिल्ली कॉलोनी पुरानी आबादी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों / रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर-अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्री अशोक कुमार डावरा पुत्र श्री मेहर चन्द निवासी मकान 60-61 ढिल्ली कॉलोनी पुरानी आबादी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 6 जैड ए मुरब्बा नं. 9 के किला नं. 10 में भूखण्ड संख्या का माप 20'-0'' गुणा 40'-0'' फीट का नियमन / पटटा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन/पटटा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पटटा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। - **सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर**

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमांक:- नियमन/2025/5049 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 22/12/2025

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 6 ई छोटी मुरब्बा नं. 20 के किला नं. 15 में भूखण्ड संख्या का माप 40'-0'' गुणा 68'-6'' फीट के नियमन / पटटा हेतु आवेदक श्री कृपाल सिंह बराड़ पुत्र श्री हरबंस सिंह निवासी 3 एफ छोटी तहसील श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों / रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्री कृपाल सिंह बराड़ पुत्र श्री हरबंस सिंह निवासी 3 एफ छोटी तहसील श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 6 ई छोटी मुरब्बा नं. 20 के किला नं. 15 में भूखण्ड संख्या का माप 40'-0'' गुणा 68'-6'' फीट का नियमन / पटटा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन/ पटटा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पटटा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नही होगा। - **सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर**

करणीनगर व मुरलीधर व्यास कॉलोनी निगम को देने को तैयार नहीं बीडीए

बीकानेर,(कासं)। बीकानेर विकास प्राधिकरण विकसित हो चुकी कॉलोनियों को नगर निगम को हस्तांतरित करने के लिए राजी तो हुआ मगर प्रमुख दो कॉलोनियां फिर भी अपने पास रख रहा है। इसमें पॉश कॉलोनी मानी जाने वाली करणी नगर और मुरलीधर व्यास कॉलोनी को वो निगम को नहीं दे रहा।

इसके अलावा कॉलोनियों के हस्तांतरण के बाद निगम को आय तो दिखाई दे रही है, मगर हर साल करीब 50 करोड़ रूपए की सड़कों के निर्माण की जिम्मेदारी भी आयेगी। कॉलोनियां निगम के पास आई तो सड़कों को लेकर शिकायतें बढ़नी तय है। नगर निगम और बीकानेर विकास प्राधिकरण के बीच कॉलोनियों के हस्तांतरण का विवाद लम्बे समय से चल रहा है। नगर निगम कॉलोनियां तो लेने को तैयार है मगर पूर्ण विकसित। पूर्व मेयर से लेकर तमाम आयुक्त इस बात को लेकर प्रस्ताव यूआईटी को देते रहे मगर बात नहीं बनी। अब कुछ हद तक बात तो बनी मगर इसमें भी बीकानेर विकास प्राधिकरण ने अपनी चाल चली। करणी नगर 90 प्रतिशत विकसित कॉलोनी है, फिर भी वो उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। मुरलीधर व्यास कॉलोनी भी निगम को नहीं सौंपी जा रही।

बीकानेर विकास प्राधिकरण नगर निगम को कॉलोनियां सौंपकर सड़कों की लाइबिलिटी बढ़ा रहा है। जबकि इन कॉलोनियों में सफाई, सीवरेज, कचरा कलेक्शन और रोड लाइटों की जिम्मेदारी पहले से ही संभाल रहा है। जस्सूसर और नत्थूसर गेट के बाहर, गोपेश्वर बस्ती, पूरा गंगाशहर, समता नगर, वल्लभ गार्डन, शास्त्रीनगर, पवनपुरी, शार्दुल गंज समेत करीब 30 से ज्यादा कॉलोनियां निगम को मिलेंगी। बीडीए के पास अभी भी करणी नगर, मरुधर कॉलोनी, स्वर्ण जयंती, अशोक नगर, शौकत उस्मानी नगर समेत एक दर्जन से ज्यादा कॉलोनियां रहेंगी।

ट्रेन की चपेट में आने से युवक का हाथ कटा

बीकानेर, (कासं)। पवनपुरी क्षेत्र से गुजर रही रेल लाइन पर देर रात एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसका हाथ कटकर अलग हो गया।

गंभीर हालत में युवक को पीबीएम अस्पताल के ट्रोमा सेंटर ले जाया गया जहां रेड एरिया में उसका इलाज जारी है। मौके पर जांच करने पर पता चला कि युवक का एक हाथ ट्रेन के नीचे आने से कटकर अलग हो गया था। असहाय सेवा संस्थान के राजकुमार खड़गावत ने बताया कि सोमवार सुबह करीब एक बजे सूचना मिली कि पवनपुरी के पास एक युवक ट्रेन से घायल हो गया है।

सूचना मिलते ही संस्था के लोग मौके पर पहुंचे, जहां युवक गंभीर अवस्था में पड़ा मिला। मौके पर जांच करने पर पता चला कि युवक का एक हाथ ट्रेन के नीचे आने से कटकर अलग हो गया था। हादसे के बाद आसपास के लोगों की मदद से घायल को तुरंत पीबीएम अस्पताल के ट्रोमा सेंटर पहुंचाया गया। घायल युवक की पहचान गोपश्वर बस्ती निवासी श्याम के रूप में हुई है। घटना की जानकारी उसके परिजनों को दे दी गई है।

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमांक :- नियमन/2025 Rajkaj Ref No. 5046 दिनांक :- 22.12.2025

सार्वजनिक आपत्ति सूचना

सर्व साधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि कृषि भूमि क्षेत्र में रिहायशी भूखण्ड वाके चक 3 ई छोटी मुरब्बा नं. 19/10 के किला नं. 23 में भूखण्ड संख्या का माप 15'-0'' गुणा 35'-0'' फीट के नियमन / पटटा हेतु आवेदक श्रीमती पुष्पा पत्नी श्री भागीरथ रेवाड निवासी 628 गली नं 07 3 ई छोटी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर इनके भूखण्ड का नियमन किया जाना है। अतः उपरोक्त वर्णित भूखण्ड के आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों / रकबे के संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति मय सबूत आपत्ति सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस के अन्दर अन्दर न्यास कार्यालय में कमरा नं. 17 में प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा बाद मियाद गुजरने अवधि के उपरान्त आवेदक श्रीमती पुष्पा पत्नी श्री भागीरथ रेवाड निवासी 628 गली नं 07 3 ई छोटी श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर चक 3 ई छोटी मुरब्बा नं. 20 के किला नं. 23 में भूखण्ड संख्या का माप 15'-0'' गुणा 35'-0'' फीट का नियमन / पटटा जारी कर दिया जावेगा। यदि उक्त वर्णित क्षेत्र का पूर्व में नियमन / पटटा जारी होना पाया गया तो वर्तमान पटटा स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। न्यास किसी भी विवाद के लिए जिम्मेवार नहीं होगा। - **सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर**

कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

क्रमांक :- नियमन/ 2025/ 5036 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 19.12.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि **श्री कमल नयन पुत्र श्री अजय कुमार निवासी जी-114 सिविल लाईन, श्रीगंगानगर** के द्वारा न्यास क्षेत्र में स्थित **आवासीय** भूखण्ड का न्यास रिकार्ड में नामान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में न्यास रिकॉर्ड एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की स्थिति निम्नानुसार है :-

न्यास रिकॉर्ड के अनुसार भूखण्ड का विवरण		आवेदक के द्वारा भूखण्ड के नामान्तरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण
भूमि का विवरण	मूल भूखण्डधारी	दस्तावेज का विवरण
चक 2 ई छोटी मुरब्बा नं. 50 किला नं. 18, 19 में माप 20 इन्दू 50 फीट भूखण्ड संख्या ई-12 सिंदि-सिंढि बिहार-3 श्रीगंगानगर	उक्त भूखण्ड का नियमन पट्टा संख्या 15970 दिनांक 05.08.2022 को श्रीमती कुसुम अरोड़ा पत्नी श्री जगदीश राय अरोड़ा के नाम से जारी किया हुआ है।	श्री कमल नयल द्वारा पंजीकृत बैयनामा दिनांक 19.11.2025 की प्रति प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड के नामान्तरण बाबत न्यास में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया है।

इस प्रकार उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार दस्तावेजों की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर नामान्तरण चाहा गया है इस सम्बन्ध में **श्री कमल नयन पुत्र श्री अजय कुमार निवासी जी-114 सिविल लाईन, श्रीगंगानगर** द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/फ्री लीज होल्ड पट्टे के संबंध में कोई आपत्ति है तो सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस में पुख्ता दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति/ उजर/ दावा निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। उक्त अवधि के दौरान इस भूखण्ड से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों को अभ्यास/ हितबद्ध व्यक्ति के देखने व पढने के लिये कार्यालय समय में खुला रखा गया है। बाद मियाद प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावेगा एवं कोई आपत्ति/ उजर स्वीकार नहीं होगा। आवेदन संख्याः- SGNR/FY25-26/MUT/1090 - **सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर**